न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 92/2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जयनारायण आयु 72 वर्ष पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम जाति जांगिड़ ब्रहम्ण निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 महावीर पुत्र मातु।
2 भूपसिंह पुत्र मातु।
3 सुरेन्द्र पुत्र मातु।
4 रामपाल पुत्र मातु।
5 लिलाधर पुत्र मातु।
6 अनिल पुत्र मातु।
7 दीपल पुत्र मातु।
8 कृष्ण पुत्र मातु समस्त जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 गीता पुत्री मातु पत्नी दिनेश कुमार जाति जांगिड़ निवासी श्योसिहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 बाला पुत्री मातु पत्नी बलबीर सिंह जाति जांगिड़ निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11 अनिता पुत्री मातु पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जांगिड़ निवासी डालमियां स्कूल के पास चिड़ावा जिला झुंझुनू।
12 छोटेलाल पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम।
13 रोहिताश पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम।
14 रघुवीर पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम।
15 लक्ष्मण पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम।
16 देवीदत पुत्र मकतुल उर्फ मंगतुराम।
17 सावित्री पत्नी ताराचन्द।
18 विजय कुमार पुत्र ताराचन्द ।
19 संजय पुत्र ताराचन्द।
20 चन्दगीराम पुत्र भूराराम जाति समस्त जांगिड़ निवासीगण बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
21 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी दावा उनवानी मातु बनाम छोटेलाल वगैरह
बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 07/2003
निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2003 एवं 02.04.04

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट

Lario
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

–निर्णय–

दिनांकः– 30-1-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 07/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2003 व 02.04.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 के पूर्वज मातु पुत्र स्व. भूरा की और से वाद घोषणा व दूरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत कर भूमि गत खसरा नम्बर 253/1, 244 हाल खसरा नम्बर 957,973,974 में 1/2 भाग पर खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.10.2003 से वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को खसरा नम्बर 957,973 में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। इसके उपरान्त वादी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय ने वकील वादी को सुनकर निर्णय दिनांक 02.04.2004 से भूमि खसरा नम्बर 957,973,974 में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर संशोधित पर्चा डिक्री जारी की है। जिससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

दौराने अपील रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने बैंक से त्रण लेने हेतु 20.05.2017 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तब विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी हुई जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है देरी कन्डोन करने के लिए धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाये। गुणावगुण पर बहस करते हुये विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अथवा उनके वारिसानों के कब्जे काश्त में कभी नही रही है वादी ने न्यायालय को मुगालता देकर केवल मात्र 2016 की जमाबंदी में सहवन से हुये अंकन के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने विवादित भूमि की संवत 2016 से पूर्व की जमांबदी, खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नही की है। संवत 2016 की जमाबंदी आधार वर्ष की जमाबंदी नही है इस एक वर्ष की जमाबंदी के आधार पर विधि अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नही था इसके अतिरिक्त वादी ने राजस्व रिकार्ड की ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जिससे वाद वादी साबित होता हो विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय में दिनांक 09.09.2003 को अपीलांट की और से आदेश 9 नियम 7 का आवेदन, शपथ पत्र, वकालत नामा प्रस्तुत होना अंकित है किन्तु यह सभी दस्तावेज अपीलांट ने प्रस्तुत नही किये है अपितु साजसी तौर पर कुट रचित व अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर पेश किये गये है अत विचारण न्यायालय की पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद साबित नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जायें।

Lawo

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केन्द्र ज्भुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 09.09. 2003 को अपीलांट जयनारायण की और से आवेदन अन्तर्गत 9 नियम 7 प्रस्तुत किया गया है। हमने इस आवेदन, शपथ पत्र एवं वकालतनामा का अवलोकन किया विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन, शपथ पत्र एवं वकालत नामे पर अपीलांट द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं अपील मिमो व धारा 5 के आवेदन व शपथ पत्र में किये गये अपीलांट के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न पाये जाते है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वकालत नामा पर जिस वकील ने हस्ताक्षर किये है वो पठनीय नही है एवं वकील का नाम अंकित नही है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना, शपथ पत्र एवं वकालत नामा प्रस्तुत करना संदिग्ध प्रतित होता है इस आधार पर हम विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्व नही ठहरा सकते है। किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र को जो अखण्डित है उसे न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है हमने इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने नये खसरा नम्बर 957,973,974,1419/931 की जमाबंदी संवत 2054 से 2057 पेश की है। जिसमें खातेदारी छोटेलाल, जयनारायण, रोहिताश, रघुवीर, लक्ष्मण, देवीदत, पिसरान मकतुल सिंह जाति खाति जांगिड़ ब्रहाम्ण दर्ज है। संवत 2024 से 2027 में विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 244,253/1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

,253/2 की खातेदारी मकतुल पुत्र धन्ना जाति खाति साकिम देह दर्ज है। पत्रावली में जमाबंदी संवत 2016 की छाया प्रति संलग्न है जो प्रदर्श–1 अंकित है में खसरा नम्बर 253/1 व 244 की खातेदारी मकतुल पुत्र धन्ना खाति मातु पुत्र भूरा खाति बहिस्सा बराबर अंकित है, इसके अतिरिक्त पत्रावली में अन्य कोई राजस्व रिकार्ड संलग्न नही हैं जिससे वाद में विवादित भूमि कभी भी वादी मातु पुत्र भूरा के नाम दर्ज होना, वादी अथवा उसके वारिसान का इस भूमि पर कब्जा कास्त साबित करता हो। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र संवत 2016 की एक वर्ष की जमाबंदी में मातु पुत्र भूरा के अंकन को सही मानकर खातेदारी की घोषणा कर दी है। प्रथम तो संवत 2016 की जमाबंदी को आधार वर्ष नही माना जा सकता है इससे पूर्व व इसके पश्चात विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रही हो ऐसा कोई साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नही किया है विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर वादी, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अथवा इनके वारिसान का कब्जा कास्त कभी भी रहा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी मातु ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो कि विवादित भूमि पर वादी के पिता भूरा का कभी भी कब्जा कास्त व खातेदारी रही हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकार्ड से साबित हुये बिना विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 एवं उनके वारिसान को विवादित भूमि खसरा नम्बर 957,973,974 वाके ग्राम बड़बर में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है जो विधि की दृष्टि में गुणावगुण पर किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

भी प्रकार से विधि सम्मत नही माना जा सकता हैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट गुणावगुण पर विवेचन के उपरान्त स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2003 एवं 02.04.2004 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर